प्रेस नोट

क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.19 करोड़ दावे निपटाए गए

ऑनलाइन हेल्प डेस्क आरंभ किया गया

क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार कम किए गए

भारत एवं नार्वे के बीच सामाजिक सुरक्षा करारनामा अधिसूचित किया गया

मुख्यालय, नई दिल्ली, 09.03.15 : श्री के.के. जालान, के.भ.नि.आ. ने फरवरी माह के दौरान क.भ.नि.सं. की प्रगति की समीक्षा करते हुए नोट किया कि संगठन ने 10.71 लाख दावे निपटाए । जिसमें से 75% दस दिन के भीतर एवं 95% 20 दिन के भीतर निपटाए गए । इस प्रकार क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.19 करोड़ दावे निपटाए गए । उन्होंने नोट किया कि निपटान में लगने वाले समय में प्रगतिशील घटाव से क.भ.नि.सं. द्वारा अधिकतम 20 दिन में दावों को निपटाने की नई समय सीमा का पालन करने संबंधी तैयारी का पता चलता है जिसे कि शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की आशा है ।

फरवरी माह में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा क.भ.नि. सदस्यों के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क का आरंभ किया गया जिससे वे अपने निष्क्रिय खातों का पता लगाकर इसके अंतरण अथवा निकासी संबंधी कार्रवाई कर सके । क.भ.नि.सं. को ऑनलाइन भुगतान एवं कॉरपोरेट चैक पेयेबल एट पार (सी.सी.पी.ए.पी.) सिस्टम लागू करने संबंधी प्रयासों के लिए बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विसिस एंड इश्योरेंस (बी.एफ.एस.आई) लीडरशिप अवार्ड दिया गया है ।

क.भ.नि. योजना के लिए प्रशासनिक प्रभार को वर्तमान 1.10 से घटाकर वेतन का 0.85% कर दिया गया है । परंतु प्रत्येक बिना किसी अंशदायी सदस्य वाली निष्क्रिय स्थापना के लिए न्यूनतम प्रभार पिचहतर रूपये प्रति माह एवं अन्य स्थापनाओं के लिए प्रति स्थापना पांच सौ रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के लिए बिना किसी अंशदायी सदस्य वाली निष्क्रिय स्थापना के लिए न्यूनतम प्रभार पच्चीस रूपये प्रति माह एवं अन्य स्थापनाओं के लिए प्रति स्थापना सौ रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है । संशोधित प्रभार 01.01.2015 से लागू होंगे ।

फरवरी माह के दौरान, क.भ.नि.सं. द्वारा स्थापनाओं के स्वामित्व संबंधी सांविधिक रिटर्न को ऑनलाइन भरना भी आवश्यक कर दिया गया है । चूंकि इस रिटर्न में मालिक, ठेकेदारों, निदेशक, पार्टनर एवं मैनेजर आदि का विवरण होता है इससे संगठन के नियोक्ताओं के डाटाबेस की उचित पहचान बनाने एवं इसे दुरूस्त करने में सहायता मिलेगी ।

अनुपालन के क्षेत्र में इस माह को वसूली माह के रूप में मनाया गया एवं फील्ड कार्यालयों को चूककर्ताओं के विरूद्ध विशेष कार्रवाई करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निदेश जारी किए गए । इसी प्रकार ऐसे न्यासों जिन्होंने छूट वापिस की है, को अधिकार में लेने के संबंध में अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में भी निदेश जारी किए गए । निकायों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर्स से ऑडिट एवं अपनी वित्तीय अवस्था की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अन्य अंशधारकों द्वारा क्रॉस सब्सिडाइजेशन न हो । क.भ.नि.सं. के हक में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उत्तराधिकारी स्थापना (जहां पर स्थापना के स्वामित्व में बदलाव हुआ है) पुरानी स्थापना के विरूद्ध लगाई गई नुकसानी के भुगतान की देयता से बच नहीं सकती है ।

फील्ड कार्यालयों को कामगारों को, विशेषत: प्रवासी कामगारों को संगठन द्वारा की गई पहलों जैसे कि यू.ए.एन., बैंक खाते में लाभ का सीधा भुगतान, ऑनलाइन, पासबुक, ऑनलाइन दावा स्थिति, शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में जागरूक बनाया जाए ताकि लाभ लक्ष्य समूह तक पहुंचाया जा सके ।

भारत एवं नार्वे के मध्य सामाजिक सुरक्षा करारनामा (एस.एस.ए.) हुआ है जिसमें वियोजन, सारांशिकरण एवं पोर्टेबिलिटी का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में एक कामगार जो एक देश से दूसरे देश में 60 माह अथवा कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है उसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्राप्त होती है बशर्ते वह अपने देश में पहले से कवर्ड हो ।